तत्काल

विधानसभा प्रश्न

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार

शिक्षा निदेशालय, पुराना सचिवालय, दिल्ली

विधायी कार्य शाखा/प्रश्न कक्ष

संख्याःडी0ई0–25 (13)/164/ वि0कार्य/2017–18/विभिन्न/खण्ड–II/ 630 दिनांक 22/3/18

सेवा में,

उपसचिव, (प्रश्न कक्ष)

दिल्ली विधान सभा सचिवालय,

पुराना सचिवालय, दिल्ली 110054

विषयः– विधानसभा ~~तारांकित~~/अतारांकित/~~आश्वासन~~ संख्या 193 दिनांक 22.3.18 के सन्दर्भ में।

महोदय,

आपकी सेवा में दिनांक 22-3-18 को विधानसभा में पूछे गये उपरोक्त तारांकित /अतारांकित प्रश्न /आश्वासन संख्या की 100 प्रतिलिपियॉ भेजने का निर्देश हुआ है। जोकि आपको प्रेषित है।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार

O/C

उप शिक्षा निदेशक,
(विधायी कार्य शाखा)

DDE (PGMS)
Dte. of Education
Govt. of NCT of Delhi

विभाग का नाम :– शिक्षा विभाग

विभाग का पता :– पुराना सचिवालय, दिल्ली–110054

अतारांकित प्रश्न संख्या :– 193

दिनांक :– 22.03.2018

प्रश्नकर्ता का नाम :– श्री ओम प्रकाश शर्मा

क्या उपमुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:–

<table>
<tr><th>कम सं.</th><th>प्रश्न</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td>क)</td><td>क्या यह सत्य है कि सरकार द्वारा समय पर अनुदान जारी न होने के कारण विद्यालय समय पर मिड–डे–मील का वितरण नहीं कर पाते हैं ?</td><td>यह सत्य नहीं है। मिड डे मील का वितरण हर विद्यालय में समय पर किया जाता है।</td></tr>
<tr><td>ख)</td><td>गत तीन वर्षों में वर्षोनुसार को मिड–डे–मील के लाभांवितो की संख्या क्या है</td><td>दिल्ली में गत तीन वर्षों में मिड डे मील के लाभांवितों की संख्या निम्न है :
<table>
<tr><th>वर्ष</th><th>प्राथमिक</th><th>माध्यमिक</th><th>कुल योग</th></tr>
<tr><td>2014-15</td><td>1082135</td><td>712170</td><td>1794305</td></tr>
<tr><td>2015-16</td><td>1047498</td><td>701200</td><td>1748698</td></tr>
<tr><td>2016-17</td><td>1007956</td><td>693401</td><td>1701357</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>ग)</td><td>मिड–डे–मील की गुणवत्ता की जाचं संतोषजनक तरीके से कराया जाना सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे है; और</td><td>मिड डे मील की गुणवत्ता की जांच संतोषजनक तरीके से कराये जाने को सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा विभाग ने फिक्की रिसर्च एवं एनालिसिस सेंटर नामक गैर सरकारी संगठन को नामित किया है तथा यह संगठन प्रत्येक महीने में हर एक सर्विस प्रोवाइडर के 4 सैंपल उठाता है (3 सैंपल विद्यालयों से एवं 1 सर्विस प्रोवाइडर की रसोई से) एवं उसका अपनी लैब में जांच कर विभाग को रिपोर्ट भेजता है।</td></tr>
<tr><td>घ)</td><td>सरकार मिड–डे–मील की पौष्टिकता, गुणवत्ता तथा मात्रा की मॉनेटरिंग के लिए क्या कदम उठा रही है ?</td><td>मिड डे मील की गुणवत्ता की जांच संतोषजनक तरीके से कराये जाने को सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा विभाग ने फिक्की रिसर्च एवं एनालिसिस सेंटर नामक गैर सरकारी संगठन को नामित किया है तथा यह संगठन प्रत्येक महीने में हर एक सर्विस प्रोवाइडर के 4 सैंपल उठाता है (3 सैंपल विद्यालयों से एवं 1 सर्विस प्रोवाइडर की रसोई से) एवं उसका अपनी लैब में जांच कर विभाग को रिपोर्ट भेजता है। इसके अतिरिक्त हर महीने FCI के गोदाम से उठने वाले कच्चे खाद्यान का सैंपल जांचा जाता है।

शिक्षा विभाग द्वारा मिड डे मील की पौष्टिकता, गुणवत्ता तथा मात्रा की मोनिटरिंग के लिए जिला स्तर एवं स्कूल स्तर पर समितियों का गठन किया गया है जो बच्चो को भोजन परोसने से पहले मिड डे मील को चखती है तथा सही पाए जाने पर ही भोजन बच्चो में वितरित किया जाता है। यह समितियां सर्विस प्रोवाइडर की रसोई का भी समय समय पर निरीक्षण करती हैं।

शिक्षा विभाग मुख्यालय द्वारा भी मिड डे मील की पौष्टिकता, गुणवत्ता जांचने के लिए हर महीने उप शिक्षा निदेशकों को सर्विस प्रोवाइडर की रसोई के निरीक्षण के लिए आदेश दिए जाते हैं। शिक्षा निदेशालय ने आदेश दिनांक 25-03-2013 के द्वारा शिक्षा निदेशालय के प्रत्येक विद्यालय में स्कूल मैनेजमेंट समिति का गठन किया है जिसके कार्यों में मिड डे मील योजना का मोनिटरिंग करना भी शामिल है (रसोई में भोजन पकने से लेकर उसके विद्यार्थियों में वितरण तक)।</td></tr>
</table>